AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LIMITED

Regd. Office: 10, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg, Delhi – 110092

CIN: - U51909DL1986PLC023729

Phones: 011-43432222, 43432201 Fax: 011-43432302

Email: aapl.rera@gmail.com

To

Date: 18.01.2024

The Technical Advisor, Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, Naveen Bhavan, Rajya Niyojan Sansthan, Kalakankar House, Old Hyderabad, Lucknow, Uttar Pradesh – 226007

<u>Subject: Regarding completion status of Project "LIG/EWS BLOCK at Sector – 3, Aditya World City" Registered vide Registration No. UPRERAPRJ15047.</u>

Dear Sir.

This has the reference to your letter No.- 402/Technical Cell/U.P.RERA/2023-24 dated 13.01.2024.

First of all, we would like to state that the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad (GDA) had issued **Tower Wise Completion Certificates** vide letters bearing No. 170 Pravartan Zone-5/2020 dated 07-01-2020, 762/Pravartan Zone-5/2022 dated 29-07-2022 and 66/Pravartan Zone-5/2023 dated 18-11-2023 for LIG/EWS BLOCK at Sector — 3, Aditya World City, Ghaziabad, UP Registered vide Registration No. UPRERAPRJ15047. This project was comprising of Towers i.e. A, 14A and D.

Facts are as follows:

- The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 was enacted and Section 3 was implemented w.e.f. 01-05-2017.
- 2. The GDA had sanctioned building plans for the above said project vide its sanction letter bearing No.249/Master Plan Zone-5/17 dated 27.07.2017.
- 3. Thereafter, the promoter got the registration of the project and its registration number is **UPRERAPRJ15047**. This registration was valid till **25-01-2023**.
- 4. Further, there is a provision in building bye-laws of the Ghaziabad Development Authority, which provides that if any real estate project is comprising of more than 01 towers/blocks/buildings then the application for grant of part completion for a single towers/block/building or more than 01 towers/blocks/buildings together can be submitted and if all infrastructure and amenities like approach road, water,

sewer, drainage, electrification, parking etc. are provided and the subject building is safe to live then the Authority will issue the part completion certificate for same.

5. The completion certificates were issued after the tower wise completion including amenities, facilities and services as above said on 07-01-2020, 29-07-2022 and 18-11-2023. It is important to note that the application for issuing last completion certificate for Tower "D" was submitted on 25-07-2022 (copy enclosed) and against such application, the completion certificate was issued on 18-11-2023. The completion of all the towers were well with in time. These completion certificates are part completion for the entire project, "LIG/EWS BLOCK at Sector – 3", however, tower wise, it is completion certificate. There is no further requirement of obtaining any other completion certificate for these particular towers.

Conclusion:

In view of the above, it can be said that the above said project is not a lapsed project but a complete project well in time.

Prayed accordingly for your further action to close the matter and your kind early action shall be highly appreciated.

Thanking you,

Sincerely yours'

For Agarwal Associates (Promoters) Limited

Authorized Signatory

Encl: Three Completion Certificates and Application dated 25-07-2022



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।.

प्रवर्तन जोन-5 / 2020 170 पत्रांक:

दिनांक ०३ / ०1 / 2020

परिशिष्ट-6 प्रपत्र ब/भाग-द

विकास प्राधिकरण की अम्युवित एवं आशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र (आवेदन पत्र परिशिष्ट-6 प्रपत्र ब भाग अ, ब, स की फोटोकांपी साथ में सलंग्न है।)

एन0एच0-24 ग्राम शाहपुर बम्हैटा प्रगना डासना तहसील जिला गाजियाबाद पर स्थित इन्टीग्रेटिड टाउनशिप आदित्य वर्ल्ड सिटी के भूखण्ड सं0-एल०आई०जी० / ई०डब्लू०एस० क्षेत्रफल-10523.02 वर्ग मीटर पर टावर-14ए (सेक्टर-03) पर रवीकृति मानचित्र सं0-483/जोन-5/2016-17 दिनांक 27.07.2017 पर 16 एल०आई०जी० भवनों के अन्तर्गत आवेदक/विकासकर्ता मै० अग्रवाल एसोसिएट्स (एमोटर्स) लि0 द्वारा उपरोक्त एल०आई०जी०/ई०डब्लू०एस० हाउसिंग में निर्मित टावर सं0-14ए के आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिये गये <u>आवेदन/प्रमाण</u> पत्रो का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है, एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर 16 एल0आई0जी0 भवनों का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 16.12.2019 को प्रदान की गयी है।

अतः उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा—15 क (2) के अन्तर्गत आंशिक पूर्णता प्रमाण—पत्र

उल्लेखित शर्तो / प्रतिबन्धों क्रम संख्या-1 से 12 के अधीन निर्गत किया जाता है।

शर्ते / प्रतिबन्ध :-

1. अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा के उपकरणों के क्रियाशील होने का प्रमाण पत्र दाखिल कर अंकित समस्त प्राविधानों के पालन करने की जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी तथा शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी। प्रत्येक वर्ष इसके अनुपालन की सूचना से प्राधिकरण को भी सचित करना होगा।

2. भवन के स्ट्रक्वर/एलिवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्वर इजी० बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी। यदि

इसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए यह एजेन्सी स्वंय जिम्मेदार होगी।

3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन एंव रख—रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्लू०ए० की होगी तथा इसकी किसी भी समय जांच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।

समस्त रोपित वृक्षों के रख-रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी आर०डब्लू०ए०/बिल्डर की होगी।

5. वाटर सप्लाई, सीवर मेन्टीनेन्स तथा किसी भी प्रकार की मेन्टीनेन्स / रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं बिल्डर / ए०ओ०२० की होगी। आंतरिक विकास एवं कामन सर्विसेज को यू०पी० अपार्टमेन्ट एक्ट २०१० एवं यू०पी० अपार्टमेन्ट नियामावली 2011 के नियमों के अन्तर्गत बिल्डर द्वारा ए०ओ०ए० को हैन्ड ओवर किया जायेगा। हेन्ड ओवर लेने एवं हैन्ड ओवर एने की ए०ओ०ए० एवं बिल्डर की सामृहिक जिम्मेदारी होगी।

6. अपिमेन्ट एक्ट 2010 एवं यू०पी० अपाटमेन्ट नियमावली-2011 के प्राविधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी

बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी।

7. स्वीकृति पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा। कोई अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा।

8. किसी भी विपरीत परिस्थिति में निर्माणकर्ता की लापरवाही से होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता को होगा।

- 9. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढे हुये विकास व्यय व अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता / आर०डब्लू०ए० को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
- 10. बाह्य विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन एवं वाटर कनेक्शन की अनुमति नगर निगम गाजियाबाद से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा।
- 11. नियमानुसार आर०डब्लू०ए० के गठन एवं आर०डब्लू०ए० को सभी सुविधाओं सहित हस्तानान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण निर्माणकर्ता द्वारा ही कराया जायेगा।
- 12. Solid west Management के क्रियान्वयन एंव रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी तथा इसकी किसी भी समय जांच करने का अधिकारी प्राधिकरण का होगा।
- 13. Stats level Environment Impact Assessment Authority, U.P. द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में इंगित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

प्रमारी प्रवर्तन जोन-5

AMORE BANK TO SEE



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्रांक: १८८

/प्रवर्तन जोन-5/2022

दिनाँक 27 7/2012

परिशिष्ट-6 प्रपत्र-'द'/भाग-ब

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-6, प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स)

मैं0 अग्रवाल एसोसिएट प्रमोटर्स लि0, आदित्य वर्ल्ड सिटी इन्टीग्रेटेड टाउनिशप ग्राम शाहपुर वम्हैटा गाजियाबाद के अन्तर्गत सेक्टर—03 में 240 एल.आई.जी. तथा 236 ई.डब्लू.एस. भवनों के निर्माण हेतु मानिचन्न संख्या 483/जोन—5/2016—17 दिनांक 27.07.2017 स्वीकृत किया गया, जिसके अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा सेक्टर—03 ब्लॉक—ए के 96 एल.आई.जी. तथा 152 ई.डब्लू.एस. भवनों के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पन्न हेतु प्रस्तुत आवेदन की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति दिनांक 08.06.2022 के कम में आदित्य वर्ल्ड सिटी सेक्टर—03 में ब्लॉक—ए के 96 एल.आई.जी. तथा 152 ई.डब्लू.एस. भवनों के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पन्न पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिवन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है —

नोट:-

आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र के पृष्ठ भाग पर शर्त / प्रतिबन्ध संख्या-1 से 14 के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

प्रभारी प्रवर्तन जोन-5

शर्ते एवं प्रतिबन्ध :-

- 1. अग्नि शमन विभाग से अग्नि सुरक्षा के उपकरणों के क्रियाशील होने का अनापित्त प्रमाण पत्र में अंकित समस्त प्राविधानों के पालन करने की जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लूए० की होगी तथा शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी। इसके अनुपालन की सूचना से प्राधिकरण को भी सूचित करना होगा
- 2. भवन के स्ट्रक्चरल / एलिवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट / स्ट्रक्चरल इंजीनियर / बिल्डर / आर0डब्लू०ए० की होगी। यदि इसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए यह एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।
- 3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर / आर०डब्लू०ए० की होगी तथा इसकी किसी भी समय जांच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
- 4. समस्त रोपित वृक्षों के रख-रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी आर0डब्लू0ए० / बिल्डर की होगी।
- 5. वाटर सप्लाई, शीवर मेन्टीनेन्स तथा किसी भी प्रकार की मेन्टीनेन्स/रख—रखाव की जिम्मेदारी स्वयं बिल्डर/ए०ओ०ए० की होगी आंतरिक विकास एवं कामन सर्विसेज को यू०पी० अपार्टमेन्ट एवट—2010 एवं यूं०पी० अपार्टमेन्ट नियमावली—2011 के नियमों के अन्तर्गत बिल्डर द्वारा ए०ओ०ए० को हैण्ड ओवर किया जायेगा। हैण्ड ओवर लेने एवं हैण्ड ओवर देने की ए०ओ०ए० की एवं बिल्डर की सामूहिक जिम्मेदारी होगी।
- 6. अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं यू०पी० अपार्टमेन्ट नियमावली 2011 के प्राविधानो के अनुपालन की जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी।
- 7. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपरोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा अन्य कोई उपयोग मान्य नहीं होगा।
- 8 किसी भी विपरीत परिस्थिति में निर्माणकर्ता की लापरवाही से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षिति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
- 9. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता/आर०डब्लू०ए० को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
- 10. नियमानसार आर० डब्लू० ए० के गठन एवं आर० डब्लू० ए० को सभी सुविधाओं सहित हस्तानान्तरण तक समरत सुविधाओं आदि का अनुरक्षण निर्माणकर्ता द्वारा ही कराया जायेगा।
- 11. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के क्रियान्वयन एवं रख़ रख़ाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/ आर०डब्लू०ए० की होगी तथा इसकी किसी भी समय जांच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
- 12. State Level Environment Impact Assessment Authority U.P. द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में इंगित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- 13. विकासकर्ता को उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 04.06.2022 के अनुसार 50 प्रतिशत भवनों के अध्यासन के उपरान्त शेष 02 लिफ्ट भी स्थापित करायी जानी होगी।
- 14. स्वीकृत मानिवत्र संख्या 483 / जोन—5 / 2016—17 दिनांक 27.07.2017 में अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

उ अविरेक्षाम्यनीत

्राहायक अभियन्ता

प्रभारो प्रवर्तिन जीन-५



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्रांक : 66 / प्रवर्तन जोन-5 / 2023

विनॉक 18(11)2°23

परिशिष्ट-6 प्रपत्र-'ब'/भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र ,

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-6, प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स के कम में)

मै0 अग्रवाल ऐसोसिएटस प्रमोटर्स लि0 द्वारा विकसित की जा रही आदित्य वर्ल्ड सिटी के अन्तर्गत सेक्टर-3 के ब्लॉक-ए तथा ब्लॉक-डी ग्राम शाहपुर बम्हैटा गाजियाबाद के स्वीकृत मानचित्र सं0-483/जोन-5/2016-17 दिनांक 27.07.2017 के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा सेक्टर-3 (क्लान्ड-ड के निर्मित 36 ई0डब्लू0एस0 भवनों के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु दिये गये आवेदन की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी खीकृति दिनांक 06.11.2023 के कम में आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्ती/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है।

नोट:-

आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र के पृष्ट भाग पर शर्त/प्रत्रिबन्ध संख्या-1 से 13 के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(सुशील कुगार चौबे) विशेषासिकारी प्रभारी अवर्तन जीन-5 ally fold allo allow

शर्त

- 1. अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा के उपकरणों के कियाशील होने का अनापित प्रमाण पत्र में अंकित समस्त प्राविधानों के पालन करने की जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी तथा शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी। प्रत्येक वर्ष इसके अनुपालन की सूचना से प्राधिकरण को भी सूचित करना होगा।
- 2. भवन के स्ट्रक्चर/एलिवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजी०/बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी। यदि इसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए यह एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।
- 3. ऐन वाटर हार्वेस्टिंग के कियान्वयन एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी तथा इसकी किसी भी समय जॉच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
- 4. समस्त रोपित वृक्षों के रख-रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी आर0 डब्लू० ए० / बिल्डर की होगी।
- 5. वाटर सप्लाई, सीवर मेन्टीनेन्स तथा किसी भी प्रकार की मेन्टीनेन्स/एख़-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं बिल्डर/ए०ओ०ए की होगी आंतरिक विकास एवं कामन सर्विसेज को यू०पी० अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं यू०पी०अपार्टमेन्ट नियमावली 2011 के नियमों के अन्तर्गत बिल्डर द्वारा ए०ओ०ए० को हैन्ड ओवर किया जायेगा। हैन्ड ओवर लेने एवं हैन्ड ओवर देने की ए०ओ०ए० की एवं बिल्डर की सामूहिक जिम्मेदारी होगी।
- 6. अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 एवं यू०पी० अपार्टमेन्ट नियमावली-2011 के प्राविधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी।
- 7. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगी। कोई अन्य उपयोग मान्य नही होगी।
- 8. किसी भी विपरीत परिस्थिति में निमार्णकर्ता की लापरवाही से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता को होगी।
- 9. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढे हुये विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मॉग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता / आर0डब्लू०ए० को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
- 10.वाह्य विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन एवं वाटर कनेक्शन की अनुमित गाजियाबाद विकास <u>प्राधिकरण / नगर</u> निगम से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा।
- 11.नियमानुसार आर०डब्लू०ए० के गठन एवं आर०डब्लू०ए० को सभी सुविधाओं सहित हस्तानान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण निर्माणकर्ता द्वारा ही कराया-जायेगा।
- 12. Solid west management के कियान्वयन एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर०डब्लू०ए० की होगी तथा इसकी किसी भी समय जॉच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
- 13. State Level Environment Impact Assessment Authority U.P. द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में इंगित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

अवर अभिधन्ता

१५)॥(२५) सहायक अभियन्ता

AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LTD.



7/

दिनांकः 25.07.2022

सेवा में.

श्रीमान प्रभारी प्रवर्तन जोन—5 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद—201001

विषय:— आदित्य वर्ल्ड सिटी, इन्टीग्रेटड टाउनशिप ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद में निर्मित **Block-"D"** सेक्टर—3 के 36 ई0डब्ल्यू०एस० भवनों के सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदयं,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि हमारे द्वारा उपरोक्त आदित्य वर्ल्ड सिटी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप में Block-"D" सेक्टर—3 के 36 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। जिसका RERA Registration No. UPRERAPRJ15047 है। हमारे द्वारा पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक प्रपत्रों सिहत कम्पलीशन मानचित्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त Block-"D" सेक्टर—3 के 36 ई0डब्ल्यू०एस० भवनों का पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें।

सधन्यवाद!

प्रार्थी

मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमोटर्स) लि0

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

25/3/22

Regd. Office: 'BHARAT BHAWAN' 10, New Rajdhani Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 (INDIA)
Phones: 011 - 43432222, 43432210

CIN: U51909DL1986PLC023729, E-mail: group_003@rediffmail.com

COMMITTED TO FULFILL COMMITMENTS